संख्या-95/2023/95/38-4-2023-89(विविध)/2013

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक- 21 अप्रैल, 2023

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-374/ग्रा0आ0अनु0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या-260/ग्रा0आ0अनु0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2023, दिनांक 06 मार्च, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-18/2017/522/38-4-17-89(विविध)/2013, दिनांक-11 जुलाई, 2017 के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-18/2017/522/38-4-17-89(विविध)/2013, दिनांक-11 जुलाई, 2017 एवं सपठित शासनादेश संख्या-15/2021/163/38-4-2021-89(विविध)/2013, दिनांक-12 मई, 2021 को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या-18/2017/522/38-4-17-89(विविध)/2013, दिनांक-11 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या-15/2021/163/38-4-2021-89(विविध)/2013, दिनांक-12 मई, 2021 के प्रस्तर-2 मे विहित व्यवस्था	एतद्द्वारा संशोधित व्यवस्था
1	प्रस्तर-2(2) प्रशासनिक व्यय मद में अनुमन्य धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी जायेगी एवं उनके द्वारा राज्य स्तर हेतु अनुमन्य 0.5 प्रतिशत की धनराशि मुख्यालय पर आहरित कर व्यय किये जाने हेतु रोकते हुए शेष 3.5 प्रतिशत	प्रस्तर-2(2) प्रशासनिक व्यय मद में अनुमन्य धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी जायेगी एवं राज्य स्तर हेतु अनुमन्य प्रशासनिक मद की धनराशि का 12.5 प्रतिशत मुख्यालय पर आहरित कर व्यय किये जाने हेतु रोकते हुए शेष 87.5 प्रतिशत जनपदों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	धनराशि में से 3 प्रतिशत धनराशि जनपदों को उनके लक्ष्य के अनुपात में आवंटित की जायेगी।	उनके लक्ष्य के अनुपात में आवंटित किया जायेगा।
2	प्रस्तर-2(3) मुख्यालय अंश की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा पृथक बैंक खाते में रखी जाएगी एवं मार्गनिर्देशिका में अनुमोदित मदों में व्यय की जायेगी।	प्रस्तर-2(3) योजना के स्टेट नोडल एकाउन्ट(एस0एन0ए0) में योजनान्तर्गत कार्यक्रम मद के साथ प्रशासनिक मद की प्राप्त धनराशि रखते हुए मार्ग-निर्देशिका में उल्लिखित अनुमोदित मदों में ही धनराशि व्यय की जायेगी।
3	प्रस्तर-2(4) जनपद स्तर पर उपलब्ध 3 प्रतिशत की धनराशि में से 01 प्रतिशत (अर्थात कुल उपलब्ध धनराशि का 1/3 भाग) धनराशि विलम्बतम 15 दिवस के अन्दर विकास खण्डों को उनके लिए निर्धारित आवासों के लक्ष्यों के अनुपात में वितरित कर दी जायेगी।	प्रस्तर-2(4) योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर प्रशासनिक व्यय मद की 87.5 प्रतिशत की धनराशि में से 33.33 प्रतिशत (कुल धनराशि का 1/3 भाग) धनराशि विलम्बतम 15 दिवस के अन्दर विकास खण्डों को उनके लिए निर्धारित आवासों के लक्ष्यों के अनुपात में वितरित कर दी जायेगी। विकास खण्डों को आवंटित प्रशासनिक मद की धनराशि व्यय हो जाने की स्थिति में यदि जनपद स्तर पर धनराशि उपलब्ध है, तो योजना के कार्यहित में आवश्यकतानुसार जनपदों द्वारा विकास खण्डों के लिए मात्राकृत 33.33 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक मद की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त विकास खण्डों को उपलब्ध करायी जा सकती है।
4	प्रस्तर-2(6) जनपद स्तर पर उपलब्ध 3 प्रतिशत की धनराशि में से विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों को धनराशि अवमुक्त करने के पश्चात अवशेष धनराशि अनुमन्य मदों में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यय की जायेगी। यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रशासनिक मद में प्राप्त समस्त धनराशि नियमानुसार औचित्य पूर्ण व्यय उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित हो जाय, अन्यथा	प्रस्तर-2(6) जनपद स्तर पर प्रशासनिक मद की उपलब्ध 87.5 प्रतिशत धनराशि में से विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों को धनराशि अवमुक्त करने के पश्चात अवशेष धनराशि अनुमन्य मदों में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यय की जायेगी। यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रशासनिक मद में प्राप्त समस्त धनराशि का नियमानुसार औचित्यपूर्ण व्यय उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित हो जाय,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	जितनी धनराशि अवशेष रहेगी, भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में उतनी धनराशि राज्य के हिस्से से कम की जा सकती है।	अन्यथा जितनी धनराशि अवशेष रहेगी, भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में उतनी धनराशि राज्य के हिस्से से कम की जा सकती है।
5	प्रस्तर-2(10) प्रशासनिक मद की धनराशि को योजना की मार्गनिर्देशिका के प्रस्तर-3.3.1 में निर्धारित 13 मदों में ही किया जाएगा। निर्धारित मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में व्यय किये जाने की स्थिति में संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।	प्रस्तर-2(10) प्रशासनिक मद की धनराशि को योजना की मार्गनिर्देशिका-2022 के प्रस्तर-3.3.1 में निर्धारित 17 मदों में ही व्यय किया जाएगा तथा प्रस्तर 3.3.3 में निर्धारित 03 मदों में कदापि व्यय नहीं किया जायेगा। निर्धारित मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में व्यय किये जाने की स्थिति में संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
6	प्रस्तर-2(12) प्रशासनिक मदों के व्यय हेतु अनुमन्य 04 प्रतिशत धनराशि में से 01 प्रतिशत अथवा 0.5 प्रतिशत की धनराशि सोशल ऑडिट के दिये जाने के संबंध में निर्णयोपरान्त पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।	प्रस्तर-2(12) विकास खण्डों को उनके लिए निर्धारित आवासों के लक्ष्यों के अनुपात में वितरित करने के उपरान्त, जनपद में अवशेष प्रशासनिक मद की उपलब्ध धनराशि में से 20 प्रतिशत सोशल आडिट हेतु एवं 20 प्रतिशत रूरल मेसन ट्रेनिंग हेतु आरक्षित करते हुए योजना की मार्ग निर्देशिका के अनुसार व्यय किया जाएगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या-95/2023/95(1)/38-4-2023, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

9- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

10- निदेशक बजट/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स,

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।